	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ *14*, *शुक्रवार*, शाके 1946-*जुलाई 05*, 2024 *Asadha 14, Friday, Saka 1946- July 05, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

अधिसूचना

जयपुर, जून 07, 2024

संख्या प. 2(24)वन/2024 :- चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंष की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारो की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्है लेखबन्द किया जाना आवष्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आंषका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्है लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रंक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव प्रडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त सरंक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाषन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे

किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्व करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची								
क्र.स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	**विवरण**			
					नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षैत्रफल है0 में	भूमि किस्म
1	गोपालपुरा ए	के0 पाटन	बून्दी	उतर:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा मेज नदी दक्षिण:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा पश्चिम:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा पूर्व:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा	गोपालपुरा	737	15.28 है0	गै0मु0 दरडा
						746	15.72 है0	गै0मु0 दरडा
					योग	2 किता	31.00 है0	

प्रथम अनुसूची								
क्र.स.	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	**विवरण**			
					नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षैत्रफल है0 में	भूमि किस्म
1	गोपालपुरा बी	के0 पाटन	बून्दी	उतर:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा दक्षिण:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा पश्चिम:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा पूर्व:- राजस्व भूमि ग्राम गोपालपुरा	गोपालपुरा	704	8.80 है0	गै0मु0 दरडा
					योग	1 किता	8.80 है0	

(दीपक जासू)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
के0 पाटन

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

वनखण्ड:- गोपालपुरा ए, बी

क्र.स.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी का नाम
1	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
2	Acacia leucophloea	रौंझ
3	Zizyphus numuleria	झाडी बेर

(दीपक जासू)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
के0 पाटन

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

(जो लागू नही होता है] उसे काट दें)

जिला :- बून्दी
रेंज :- के0 पाटन
रक्षित वनखण्ड :- गोपालपुरा ए, बी
वन मंडल :- बून्दी

1. संलग्न प्रारुप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर मुमकिन दरडा है] जिसे विज्ञप्ति के कालम 6 में विस्तृत रुप से खसरा नंबरो का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य कराना है। उक्त क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. वर्तमान में कोई विकास कार्य नही करवाये गये है। इसमें कोई खनन कार्य नही हुये है। भविष्य में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षों का अधिकांश घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.4 है तथा कुछ क्षेत्रों में नगण्य है।
5. समीपवर्ती क्षेत्र राजस्व भूमि है तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कालम संख्या 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्ड के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरुप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी0टी0 शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्र की विज्ञप्ति के प्रारुप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्र के कानूनी स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरुप शासकीय गजट के प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससें इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सकें।
8. प्रस्तावित भूमि वनखण्ड गोपालपुरा ए एव बी वन संरक्षण अधिनियम के तहत सथूर माताजी लघु सिंचाई परियोजना सिंचाई बांध किशनपुरा के एवज में प्राप्त हुई है।
9. उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

(दीपक जासू)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
के0 पाटन

(ओमप्रकाश जांगिड)
उप वन संरक्षक
बून्दी

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।